HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1324/2026

Madanmohan S/o Girraj, Aged About 40 Years, R/o Beejalpur, Police Thana Kudgaon, District Karauli, Rajasthan. (At Presently Confined In Jail Karauli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Kumar Goyal with Ms. Amita Agrawal Ms. Anjali Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना लांगरा जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/2026 अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उसके आधिपत्य से 5.15 ग्राम स्मैक प्राप्त होना बताया गया है। उनका तर्क है कि उक्त मात्रा न्यूनतम मात्रा 5 ग्राम से अत्यधिक अल्प से ज्यादा है। उनका तर्क है कि पूर्व में प्रार्थी के विरूद्ध जो आपराधिक प्रकरण बताए गए हैं उनमें से दो मामले 13 आरपीजीओ, एक मामला धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं एक मामला आयुध अधिनियम का है। जो एनडीपीएस का एक अन्य पूर्व आपराधिक मामला बताया गया है वह भी 2.35 ग्राम स्मैक की मात्रा न्यूनतम मात्रा से सम्बन्धित ही है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उनके द्वारा पेश की जा रही है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 03.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी आदतन अपराधी है, उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 5.15 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है, जो लघु मात्रा से कुछ ही अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थी दिनांक 03.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्राथी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का समान प्रकृति का प्रकरण भी 2.35 ग्राम स्मैक की बरामदगी से सम्बन्धित है जो न्यूनतम मात्रा का प्रकरण रहा है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **मदनमोहन पुत्र गिर्राज** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। सम्बन्धित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /44